Page No.
Date:

024

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2022/ ई.आर.बी-2/17(3)/5 **नई दिल्ली, दिनांक 24.01.2024**

तैनाती आदेश सं. - 17

विषय – लेखा निदेशालय के अंतर्गत वेतन एवं लेखा कार्यालय में वरिष्ठ खजांची (वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6) के पद पर अस्थाई अंतरण आधार पर तैनाती ।

श्री विशाल धवन (Vishal Dhawan), वरिष्ठ खजांची (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6)/ बी.एच/ उत्तर रलेवे को लेखा निदेशालाय के अंतर्गत वेतन एवं लेखा निदेशालय शाखा में वरिष्ठ खजांची (वेतन मैट्रिक्स मे लेवल-6) के अराजपत्रित बाह्य संवर्ग पद पर दिनांक 04.01.2024 (पूर्वा.) से अस्थाई अंतरण आधार पर तैनात किया जाता है । बोर्ड कार्यालय में वे निम्नलिखित शर्तों से शासित होंगे :-

(I) उन्हें वेतन मैट्रिक्स के लेवल- 6 में उनके मूल संवर्ग में समय-समय पर निर्धारित वेतन प्राप्त करने की अनुमति होगी।

टिप्पणी- उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए वेतन में मूल विभाग से प्राप्त विशेष वेतन, यदि कोई हो शामिल नहीं है ।

(II) यह तैनाती पूर्ण रुप से अस्थाई होगी तथा उनकी सेवाओं की आवश्यकता न रहने पर उन्हें अपने मूल रेलवे में बिना किसी सूचना के वापस भेज दिया जाएगा।

(III) इस विभाग में उनकी अस्थाई अंतरण की अवधि के दौरान रेलवे में उनके मूल पद पर उनका लियन सुरक्षित रखा जाएगा। उन्हें अपने मूल संवर्ग में सभी चयनों और पदोन्नति हेतु ध्यान में रखा जाएगा, जैसा उन्हें रेलवे में सेवा के दौरान किया जाता है।

(IV) वे भारत सरकार, संपदा निदेशालय द्वारा नियंत्रित सामान्य पूल आवास आवंटन के लिए शासित नियमों के अनुसार अपनी बारी आने पर आवास पाने के पात्र होंगे। वे शासित नियमों के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा नियंत्रित ट्रांजिट आवासों के भी पात्र होंगे। रेलवे आवास के संबंध में, यदि वे पहले ही से निवास कर रहें हों तो ध्यान इस मंत्रालय के दिनांक 01.06.2001 के पत्र सं.ई.(जी)2000/क्यू आर 1-23 की ओर दिलाया जाता है।

Signed by
Sushil Kumar Singh
Date: 24-01-2024 17:20:33

सुशील कुमार सिंह
उप सचिव(प्रशा.)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. प्रधान वित्त सलाहकार, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली ।
2. उप मुख्य लेखा अधिकारी, सी एण्ड पी, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली । (श्री विशाल धवन की सर्विस पंजिका, सेवा सत्यापन की प्रविष्टि सहित, अवकाश खाता, अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र तथा **एच.आर.एम.एस संबंधी सभी कार्यवाही परिपूर्ण कर** इस मंत्रालय को अग्रेषित किया जाए)।
3. उप निदेशक/वित्त (सी.सी.ए), रेलवे बोर्ड ।
4. वेतन एवं लेखा कार्यालय, रोकड़-2, ई.आर.बी.6, ई.आर.बी.[illegible], संयुक्त सचिव कक्ष, सामान्य (पास), सतर्कता-1, संबंधित व्यक्ति (ए[illegible]इबीएएससं.) एवं निजी फाइल (सं.12274) ।
5. कं.व सू.प्र. (C&IS) को भारतीय रेल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।